



हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

प्लान्ट प्लाजा रोड, धुर्वा, राँची – 834004

संख्या-मा.सं.वि./स्नातक/डिप्लोमा/2015 – 20

दिनांक 08.01.2016

एच.ई.सी. लि० द्वारा निम्नलिखित व्यवसायों में अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के तहत प्रशिक्षकों के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

सम्भावित रिक्तियाँ :-

| समूह कोड | व्यवसाय समूह | स्नातक (Graduate) | तकनीकी (Diploma) | योग (Total) |
|----------|--|-------------------|------------------|-------------|
| 01. | Computer/Information Technology | 06 | 13 | 19 |
| 02. | Mechanical/ Production | 36 | 46 | 82 |
| 03. | Electrical, Elec. & Electronics, Elec. & Communication | 11 | 21 | 32 |
| 04. | Civil Engineering | 04 | 06 | 10 |
| 05. | Library Science | 00 | 01 | 01 |
| 06. | Hotel Management & Catering | 00 | 01 | 01 |
| 07. | Refrigeration & Air Conditioning | 00 | 02 | 02 |
| 08. | Metallurgy, Foundry Technology | 09 | 04 | 13 |
| 09. | Industrial Engineering, Production Engineering & Industrial Mgt. | 03 | 05 | 08 |
| 10. | Secretarial Practice / Accounts | 00 | 14 | 14 |
| | TOTAL | 69 | 113 | 182 |

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :

क. स्नातक प्रशिक्षु : विधिसम्मत विश्वविद्यालय से अथवा सरकार के द्वारा अधिकृत संस्थान द्वारा प्रदत्त सम्बंधित अभियंत्रण/गैर अभियंत्रण शाखा में स्नातक उपाधि।

ख. तकनीकी प्रशिक्षु : विधिसम्मत विश्वविद्यालय से अथवा सरकार द्वारा गठित राज्य तकनीकी शिक्षा पर्षद द्वारा प्रदत्त सम्बंधित अभियंत्रण शाखा / गैर अभियंत्रण शाखा में स्नातक अथवा डिप्लोमा की उपाधि अथवा सैंडविच कोर्स के ऐसे अभ्यर्थी जिनको डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की बाध्यता है।

2. आवश्यक अर्हता : वे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं स्नातक/ तकनीकी प्रशिक्षु के रूप में चयन के योग्य हैं बशर्ते कि :

क. स्नातक/डिप्लोमा स्तर पर न्यूनतम प्राप्तांक सामान्य एवं पिछड़े वर्ग (Gen & OBC) के लिए **55%** तथा अनु. जाति/जन-जाति एवं निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए **50%** आवश्यक है।

ख. स्नातक/डिप्लोमा परीक्षा की उत्तीर्णता का वर्ष **2011** या उसके बाद की हो।

ग. अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् किसी प्रकार के प्रशिक्षण या कार्यानुभव कुल मिलाकर 1 वर्ष या उससे अधिक नहीं हो।

घ. वैसे व्यक्ति जो पहले कभी स्नातक/तकनीकी प्रशिक्षु के रूप में कहीं निबंधित/कार्यरत थे तथा किसी कारणवश उनकी प्रशिक्षुता अनुबंध (Contract of apprenticeship) समाप्त हो गया हो, इसके लिए उपयुक्त पात्र नहीं है।

3. **आयु-सीमा** : दिनांक **31-10-2015** को आवेदक की आयु **18** वर्ष से **27** वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा अनु. जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु-सीमा में सरकारी निर्देशों के अनुसार 5 वर्षों या 3 वर्षों की छूट दी जाएगी।
4. **देय वृत्तिका** : चयनित स्नातक/तकनीकी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 द्वारा निर्धारित वृत्तिका दी जाएगी। यह वर्तमान में स्नातक प्रशिक्षुओं के लिए क्रमशः **4984/-** रुपये तथा तकनीकी प्रशिक्षुओं के लिए **3560/-** रुपये प्रतिमाह देय होगा। उन्हें अन्य किसी प्रकार का भता/इंसेटिभ आदि देय नहीं होगा।
5. **अवकाश** : प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष के अंदर 12 दिन का आकस्मिक अवकाश तथा 15 दिन का चिकित्सा अवकाश देय है। आकस्मिक अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता है।
6. **चयन प्रक्रिया** :
क. उम्मीदवारों का चयन स्नातक उपाधि/डिप्लोमा परीक्षाफल में कुल प्राप्तांक के मेधा-सूची के आधार पर किया जाएगा। किसी कोटि के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य कोटि के उम्मीदवारों की मेधा-सूची से रिक्तियाँ भरी जाएगी।
7. **आरक्षण** :
क. अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़े वर्ग एवं निःशक्त अभ्यर्थियों को सरकारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
8. **अधिमानता** : मेधा-सूची के निर्धारण में एचईसी के कर्मचारियों की संतानों को प्राप्तांक में **5%** की अधिमानता दी जाएगी।
9. **मेडिकल जाँच** : चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण में सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल जाँच के उपरान्त सफल घोषित होने पर ही योगदान की अनुमति दी जाएगी।
10. **अन्य सूचनाएं :-**
क. आवेदन पत्र HEC वेबसाइट www.hecltd.com से Online भरा जायेगा। आवेदन पत्र प्रक्रिया शुल्क सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए **500=00 (पाँच सौ रुपये)** तथा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं निःशक्तों के लिए **125=00 (एक सौ पच्चीस रुपये)** मात्र Online or E-Challan के माध्यम से भुगतान करने सुविधा होगी।
ख. आवेदन पत्र एवं शुल्क भुगतान करने सम्बंधी सारी जानकरियाँ HEC वेबसाइट www.hecltd.com में उपलब्ध है।
ग. प्रशिक्षण समाप्ति के बाद किसी प्रकार का रोजगार/स्वरोजगार या अन्य प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की जवाबदेही निगम या प्रशिक्षण संस्थान पर नहीं होगी।
घ. चयनित प्रशिक्षुओं का आचरण अशोभनीय या उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये कागजात अथवा सूचनाएँ गलत साबित होने पर उनका प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जाएगा और प्रशिक्षण अवधि में उनके प्रशिक्षण में हुए खर्च की वसूली भी की जाएगी। साथ ही अन्य आवश्यक कानूनी कारवाई भी की जा सकती है।
ङ. प्रशिक्षण अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के प्रावधानों के अनुसार संचालित होगा। Online फॉर्म भरने की अन्तिम तिथि 30 जनवरी **2016** है।